

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक ४८(ग) / १०१०५, डीएजीटी / १९ / २५१८।

दिनांक १३/०२/२०१९

अधिसूचना

राजस्थान राजर पालिका अधिनियम 2009 वि भा 107 (4) के अन्तर्गत पुष्ट एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त साझे जमा करने पर शास्ति में दिनांक ३०.३.२०१९ तक निम्नलिखित अधिसूचना को जाती है।

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक ३१.०३.२०१९ तक जमा कराने पर
१	मृदवर	सम्पूर्ण दकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक गृहाएँ/भवनों को एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी।
२	नगरीय विकास कर	वर्ष २०१८-१९ तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की साझे जमा कराने पर व्याज व शास्ति की साझे पर ५० प्रतिशत छूट होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक ४८(ग) ()नियम / एलएसजी / १९ / २५१८२-२५६३६
प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। —

दिनांक १३/०२/२०१९

- ०१ निजी संचिव, मालनीय मन्त्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- ०२ निजी संचिव, शासन संचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- ०३ संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समरत राजस्थान।
- ०४ महाप्रीर/समाप्ति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाये समरत राजस्थान।
- ०५ महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- ०६ निदेशक, राजनीय निधि अकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
- ०७ रामरत्न अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समरत राजस्थान।
- ०८ प्रोग्रामर निदेशालय वो नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
- ०९ जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय वो आधिसूचना के प्रचार हेतु।
- १० अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज० जयपुर को आगामी असाधारण अक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं गांच प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु।
११. सुलिलित पत्राली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी